न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 17/2021

1 विद्याधर पुत्र ख्यालीराम आयु 38 वर्ष जाति जाट निवासी पोषाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 ख्यालीराम दत्तक पुत्र चूनाराम आयु 65 वर्ष जाति जाट निवासी पोषाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
2 विजेन्द्र पुत्र ख्यालीराम आयु 26 वर्ष जाति जाट निवासी पोषाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
3 विनोद पुत्र ख्यालीराम आयु 37 वर्ष जाति जाट निवासी पोषाना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)
4 मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी।
5 मैनेजर बैंक ऑफ पंजाब नेशनल शाखा उदयपुरवाटी।
6 राज्य सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी व उप पंजीयक उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी बमुकदमा उनवानी विद्याधर बनाम ख्यालीराम वगैरह मु.नं. 274/2016

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मदन गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7.6.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 274/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया अपीलान्ट ने एक दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पोषाना में एक चूनाराम नाम का व्यक्ति था। जो ग्राम पोषाना की सरहद में ही भूमि हाल खसरा नम्बर 401, 449, 990/445 रकबा क्रमशः 1.57 हैक्टेयर, 0.24 हैक्टेयर 0.2222 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.032 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 446, 447, 448, 553, 758, 965/448 रकबा क्रमशः 0.01 हैक्टेयर, 0.03 हैक्टेयर, 1.76 हैक्टेयर, 0.62 हैक्टेयर, 1.54 हैक्टेयर, 1.60 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 5.56 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार था। चूनाराम के कोई पुत्र वारिश नहीं होने के कारण चूनाराम ने रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 ख्यालीराम को गोद लिया था। चूनाराम की विरासतन भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ख्यालीराम को विरासतन प्राप्त हो गई। ख्यालीराम के तीन पुत्र अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट न. 2 व 3 पुत्र सन्तान है। जो अपने पिता को विरासतन प्राप्त भूमि में शामिल में ही काश्त करते थे। इसलिए उपरोक्त भूमि में अपीलार्थी को जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। जिसमें वादी/अपीलार्थी का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 का 3/4 हिस्सा संयुक्त रूप से है तथा उसी अनुरूप काश्त करते है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 चालाक व बदमाश प्रवृति का आदमी है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

इसलिए भूमि का राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम होने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अपने प्रभाव में लेकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 को उनके हिस्से से वंचित करना चाहता है। अपीलान्ट अपने हिस्से की घोषणा करवाने उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने तथा अपने 1/4 हिस्से में काश्त करने में किसी प्रकार की कोई दखल अन्दाज नही देने बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 को पाबन्द हेतु पेश किया था। जिसमें विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना किसी सुनवाई किये दावा के तथ्यों के विपरीत निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2018 को पारित की है। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण विचारण न्यायालय में जबाब काउन्टर क्लेम व तलबी हेतु दिनांक 12 मार्च 2018 को नियत था। दिनांक 12 मार्च 2018 को पत्रावली पर स्टाम्प लगाकर 18 अप्रेल 2018 पेशी बदली गई। दिनांक 18 अप्रेल 2018 को अवकाश होने के कारण किसी प्रकार की कोई पेशी नहीं दी गई दिनांक 19 अप्रेल 2018 को पुनः पत्रावली में स्टाम्प लगाकर 23 मई 2018 पेशी दी गई। 23 मई 2018 को अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ तो अपीलार्थी को न्यायालय में पीठासीन अधिकारी कैम्प में जाना बताया गया प्रकरण में पेशी बाबत् नहीं बताया गया। दिनांक 23 मई 2018 की आदेशिका भी गत आदेशानुसार अर्थात जबाब काउन्टर क्लेम और तलबी में कैम्प कोर्ट पोषाना में होने बाबात् लिखी गई है जिसकी अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। कैम्प बाबत् अपीलार्थी को किसी प्रकार का कोई नोटिश न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने प्रकरण में जो निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18 जून 2018 को पारित की वो केवल प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट 1 व 2 के आपसी राजीनामा व ग्राम पंचायत पोषाना के वारिशप्रमाण पत्र के आधार मानकर किया है जो दावा के कथनों के विपरित है रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 के जवाब व काउन्टर क्लेम के कथनों के भी विपरित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

जाकर दावा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में डिक्री किया है जो दावा में पक्षकार ही नहीं है। केवल मात्र ग्राम पंचायत के वारिशप्रमाण पत्र के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया है। किसी भी प्रकार से दावा के कथन, जबाब दावा के कथन व काउन्टर क्लेम व राजस्व रिकार्ड पर विचारण न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है न किसी कानूनी तथ्य पर गौर किया है। राजीनामा प्रपत्र के वादी के कॉलम में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ने हस्ताक्षर कर राजीनामा प्रस्तुत किया है। सरपंच ग्राम पंचायत पोषाना ने उक्त उक्त की पहचान कर दी व विचारण न्यायालय ने उसको तस्दीक कर दिया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 बदमाश व चालाक प्रवृती का आदमी होने से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को अपने प्रभाव में ले रखा है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 बिजेन्द्र ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को बहला फुसलाकर आपस में षड़यन्त्र कर अपीलान्ट को उसके अधिकारों से वंचित करने के आशय से राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम होने से उसका दूरूपयोग कर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा उदयपुरवाटी रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 से पांच लाख का ऋण ले रखा है किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है जिसमें नोमिनी रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 ही है अन्य बैंक से भी ऋण ले रखा है। अब भूमि को विक्रय करने पर अमादा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 षड़यन्त्र कर अपीलान्ट काके उसके हक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त राजस्व रिकार्ड का किसी प्रकार से कोई गौर नहीं किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने अपने खातेदारी हिस्से में से खसरा नम्बर 764 रकबा 2.13 हैक्टेयर में से 0.66 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के कहने पर विक्रय कर दी तथा प्रतिफल रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने हड़प लिया उक्त विक्रय का नामान्तकरण संख्या 806 दिनांक 20.10.2011 को तस्दीक हो चूका है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में है तथा उक्त खसरा नम्बर से ही शेष भूमि 1.47 का विनिमय कर लिया उक्त भूमि बहुत ही किमती थी। लेकिन रेस्पोडेन्टगण 1 व 2 ने मिलकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 को उनके उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को बराबर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

हिस्से का खातेदार मानकर विचारण न्यायालय ने दावा निर्णत करने में कानूनी त्रुटी की है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने स्वयं उपस्थित होकर कैम्प के दौरान राजीनामा मय वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पचांयत पोषाना का प्रस्तुत किया। कैम्प दौराने पुछताछ में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट 1 ने कथन किया कि ग्राम पोषाना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 401, 446, 447, 448, 449, 453, 758, 965/448, 990/445 किता 9 कुल रकबा 7.5922 हैक्टेयर की खातेदारी ख्यालीराम दत्तक पुत्र चूनाराम जाति जाट के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी मेरे साथ–साथ मेरे जायज वारिसान को दिये जाने पर मुझे कोई एतराज या आपत्ति नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत पोषाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र राजीनामा के संलग्न है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय राजीनामे के आधार पर पारित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामें पर वादी अपीलांट के अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर भी वादी अपीलांट अथवा उसके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विधि अनुसार विचारण न्यायालय को तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसी नहीं कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधि अनुसार तनकी कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7.6.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)